

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग शिविर 2021)

बड़जलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

शिविर का स्थान - दाबलाखी दिनांक : 26.10.2021

प्रकरण संख्या - राजस्व वाद / 52 / 2020

उनवान प्रकरण

आल्लराम के रतनलाल जाति

दांगी वि. दाबलाखी


दावा धारा 21, 88, 89, 63E, 209.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

- व 1 भागवत के रतनलाल
- 2 बजरंगलाल के भंवरलाल
- न 3 लालीबाई D/O भंवरलाल
- 4 फाल्गुबाई D/O भंवरलाल
- म 5 जालीबाई D/O भंवरलाल
- 6 राज. रावदार 7 जनसामान्य

प्रस्तुत वाद में वादी का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दाबलाखी की आराजी ख न. 1120 खका 0.2276 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का नाम एवं प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 के पितर व प्रतिवादी सं. 6 के पति मृतक भंवरलाल का नाम खाते से काम कर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।



निज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
सब से दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/10/21 को जारी की गई।

(Signature)
(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

पिडावा जिला झालावाड़
प्रशासन गांव के संग 2021

